यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 70/2023 उनवान गोपाल बनाम छगनलाल ::

1.गोपाल पुत्र सोन्या
2.पांचू पुत्र लादू
3.भागचन्द पुत्र उंकार
4.महावीर पुत्र मोहन
सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. छगनलाल पुत्र रामनारायण
2. रामकिशन पुत्र रतनलाल
3. रामवतार पुत्र रतनलाल
4. रतन पुत्र माधू
5. श्योजी पुत्र माधू
6. रामनिवास दत्तक पुत्र लक्ष्मण
7. बदाम पुत्री माधु
8. लाली पुत्री माधु
9. इन्द्रा पुत्री धन्ना
10.उमराव पुत्र काना
11.कंचन पुत्र झीता
12.कमला पत्नि गणपत
13.कैलाश पुत्र श्रवण
14.कालूराम दत्तक पुत्र केला
15.गणेश पुत्र कालूराम
16.घीसी पुत्री सुगना
17.चन्द्रकला पुत्री भगवान
18.छोटी पत्नी मोहन
19.जगदीश पुत्र श्रवण
20.ज्ञानी पत्नि भगवान
21.धन्नी पत्नी झीता
22.पूजा पुत्री कालूराम
23.पप्पू पुत्र बींजा
24.प्रेम पुत्री झीता
25.गीता पत्नि स्व. बंशी
26.ओमप्रकाश पुत्र स्व. बंशी
27.नोरत पुत्र स्व. बंशी
28.[[बसन्ती]] पत्नि स्व. बेनाथ
29.[[करणी]] पुत्र स्व. बेनाथ
30.[[गजानन्द]] पुत्र स्व. बेनाथ

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

भागचन्द पुत्र मोहन
भागचन्द पुत्र झीता जाति रेगर
33.मंजू पुत्री भगवान
34.मदनलाल पुत्र किशन
35.मनफूल पत्नि रामेश्वर
36.मैना पुत्री मोहन
37.मूलचन्द पुत्र श्रीकिशन
38.ना. मंशा पुत्र कालूराम संरक्षक माता
39.महेन्द्र पुत्र गणपत
40.महावीर पुत्र बींजा
41.मांगीलाल पुत्र झीता
42.मोहन पुत्र लादू
43.रेखा पुत्री गणपत
44.रतनी पत्नि कालू
45.रसाल पत्नि रामदयाल
46.ना. राकेश पुत्र कालूराम
47.रामकन्या पत्नि कालूराम
48.रामरतन पुत्र छीतर
49.रामस्वरूप पुत्र मोहन
50.लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतर
51.लाडा पुत्री कालू
52.श्योजी पुत्र हुक्मा
53.संतोष पत्नि छीतर
54.सुमित्रा पत्नि पप्पू
55.सूरजकरण पुत्र भगवान
56.सुरेश पुत्र गणपत
57.सुरेश पुत्र कल्याण
58.सीता पुत्र उकार
59.सीताराम पुत्र मोहन
60.सीमा पुत्री मोहन
61.सोहन पुत्र सुगना
62.हनुमान पुत्र कालू
63.ग्राम पंचायत ढसूक, जरिये सरपंच, ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
64.तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

निर्णय दिनांक 21.06.2024

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:56 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि [illegible] की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 70/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा

उपखण्ड अधि[illegible]
अरांई (अजमेर)

ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों की कब्जे काश्त, खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 282 रकबा 02.0710 हैक्टेयर है जो कि वर्तमान में प्रार्थीगण तथा नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 62 एवं परिवारजन वादअधीन भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीगणों की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सद्भावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया था जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 21.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहें है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।

2. प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 282 रकबा 02.0710 हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. दिनांक 05.10.2024 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहें जिनके विरूद्ध दिनांक 21.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा वकील प्रार्थी की पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण वादअधीन आराजी के संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी संख्या खसरा संख्या 282 रकबा 2.0710 हैक्टैयर को स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:56 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि आराजी ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

भूमि खाता संख्या 554 के खसरा संख्या 282 रकबा 02.0710 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस जमा करवाने पर वाद ग्रस्त भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित भूमि ख्खाता संख्या 554 के खसरा संख्या 282 रकबा 02.0710 हैक्टैयर का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर उक्त आराजी का नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक 21.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:56 IST
Reason: SelfAttested